

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर

ग्राम पत्र अधिकार कल्पनाक्रम निम्नलिखित अधिकार के द्वारा हो सकता है।  
उपर्युक्त विषय पर जवाब देने के लिए उपर्युक्त विषय के नाम है।  
उपर्युक्त विषय पर जवाब देने के लिए उपर्युक्त विषय के नाम है।



मात्र : अधिकारी  
दृष्टि : (0751) 2242809  
(0751) 2242829  
फोन : (0751) 2241768

पृष्ठ :

पुलारपीट,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्रालियर

क्रमांक: १५/०१/१३

दिनांक: १५/०१/१३

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर से उन्नत उन्नती ग्रामीण कौन्सिल २७२८ एन्ड्रेजेल, ग्रालियर (0751-6537611) को १२/११/२०११-१२ के लिये प्रश्नावेत्तरांवित ग्रीष्म एवं ऋत्यकालीन विषयों की अस्वासी सम्बन्धता हेतु अनुशासनी प्रदान करने के लिये ग्रामीण कौन्सिल ग्रामीण/व्यापारी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारियम १९७३ के परिविहर २७(१) द्वारा अन्वर्णित नियमानुसार लियोशण लियोते का मत्त दिया है।

(१) प्रो. जे.एन. गौड़तम, कुलाधिकारी, जी.पी.पी. ग्रालियर।

(संघोतक)

(0751-2442603)

(२) प्रो. डी.एन. गोखलानी, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.पी.पी. ग्रालियर।

(३) डॉ. डी.एस. महाजन, व्याख्याता, शा. शिक्षा महाविद्यालय, ग्रालियर।

लियोशण लियोति के सदस्यों से अनुबोध हो कि के योजिया २७२८ द्वारा ग्रामान्तर के अनुशासन महाविद्यालय का प्रत्यक्ष लियोशण कार शुल्क, अवैधता छारी, वार्षिक लैम्पिक-अर्डिनेशन रोपण, प्राथिकृत दंसंग से ग्राम अनुमाती-अनुपाती प्रभाण पत्र, भव्यत, द्वारा घोषित एवं पारद्यकाम-आविजेन तथा पिछले लक्ष में ही अवैध शर्तों की वृत्ति भव्य प्रभाण पत्र के तथा प्राचार्य/लैम्पिक एवं आर्डिनेशन द्वारा योजियोति का ग्रामान्तर एवं योन आवैध के बारे में उपर्युक्त विवरण-अनुशासनों अधिना कहे।

स्थानीय समिति वी विकास विकास २६ सितम्बर २०१२ के पद क्रमांक ६० (अ-अ-२) पर लिये जाये विवरणानुसार लियोशण द्वारा ३० दिन में महाविद्यालय का विरीक्षण कर १५ दिवस में विश्वविद्यालय कालालय में विशेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि उम्मीद कार्यवाही (ग्रामविद्यालय विकास वी) १५ दिवस में यूर्ज हो अकेली एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा वी जाने वाली अस्वासी सम्बद्धता में विलग्न बही होना एवं भव्य समय सम्बन्धता उन्नती कार्यवाही पूर्ण तो उन्नेसी तथा शासन के विकासों का गालन लियोशण लियोति जा सकेगा।

ग्राम के १५ दिवस में Report प्राप्त न होने की सिद्धि गै यह भव्य लियोशण के विशेषण नहीं हुआ है। लियोशण अवैधत भव्य करकर जीवाजी समिति जारी की जायेगी। दिवस १५ दिवस में विशेषण द्वारा घोषित प्रस्तुत कर्त्ता अविवादी होगा। परिविहर २७(१)(२) के अनुसार सम्बद्धता ग्राम किए विकास छारों को प्रवेश देना अविवादिक है।

लियोशण समिति के लाय ग्रामवासी शास्त्र ने कार्यस्थि अविवादिक / व्याख्याता सदाशक प्रभावती लेकर जारीजे तथा महाविद्यालय की वस्तुतियोति से लियोशण समिति को अवगत करायेगे। लियोशण समिति के उद्दर्दों की दीए / दीए / मानवेय ग्रामविद्यालय द्वारा देय होगा।

*अमरीका*  
कुलाधिकारी

### प्रतिलिपि :-

१. तथान्त सदस्यों वी ओर सूचकार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
२. ग्रामार्थ/अध्यात्म, संबंधित महाविद्यालय वी ओर भेजकर आग्रह है कि जिससे के संघोतक वी दापक स्थापित कर लियोशण विकास विभागित कर महाविद्यालय का भिरीक्षण करायें। दोनों लियोशण १५ दिवस के अवैध करावे की व्यवस्था करें।
३. अवैधत उन्न शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
४. कुलपाती के लायेव / कुलाधिकार के जिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर

*सहायक कुलाधिकार (द्वारा देय)*